

राजस्थान मेडिकल सर्विसेज कॉर्पोरेशन लि.

रजि. कार्यालय: डी-ब्लॉक, स्वास्थ्य भवन, तिलक मार्ग, सी-स्कीम, जयपुर

GSTIN- 08AAFCR2824M1Z3

फोन नं: 0141-2228060-61, फैक्स नं: 0141-2228065

CIN: U24232RJ2011SGC035067

क्रमांक : एफ.9 ()/आरएमएससी/भण्डार/वाहन/2022-23/ 3677

ई-मेल : edf-rmsc-rj@nic.in

Website : www.rmsc.nic.in

दिनांक: 20/11/2023

निविदा सूचना

राजस्थान मेडिकल सर्विसेज कॉर्पोरेशन लि, जयपुर कार्यालय द्वारा निम्नानुसार जब आवश्यकता हो (As when as required), के आधार पर वाहन उपलब्ध करवाने के लिए दर संविदा (Rate Contract) हेतु मुहरबंद निविदाएँ आमंत्रित की जाती है :-

क्र.सं.	सामग्री	अनुमानित मूल्य (रु.)	बोली प्रतिभूति (Bid security) (रु.)	निविदा शुल्क (रु.)
1.	जब आवश्यकता हो (As when as required), के आधार पर वाहन उपलब्ध करवाने के लिए	5,00,000.00	10,000.00	500.00

निविदा प्रपत्र सीधे ही निगम की वेब साईट <http://rmsc.health.rajasthan.gov.in> & <http://sppp.rajasthan.gov.in/> से डाउनलोड कर, निविदा प्रपत्र के शुल्क की राशि रु. 500/- एवं बोली प्रतिभूति राशि रु. 10000/- का डी.डी. निविदा प्रपत्र के साथ संलग्न कर दिनांक 30.01.2023 को ही अपराह्ण 3.00 बजे तक जमा कराए जा सकते हैं। प्राप्त निविदाओं की तकनीकी निविदा उपस्थित निविदादाताओं/अधिकृत प्रतिनिधियों के समक्ष दिनांक 31.01.2023 को सायं 4.00 बजे खोली जाएगी।



विशेषाधिकारी, आरएमएससी

राजस्थान मेडिकल सर्विसेज कॉर्पोरेशन लि.

रजि. कार्यालय: डी-ब्लॉक, स्वास्थ्य भवन, तिलक मार्ग, सी-स्कीम, जयपुर

GSTIN- 08AAFCR2824M1Z3

फोन नं: 0141-2228060-61, फैक्स नं: 0141-2228065

ई-मेल : edf-rmsc-rj@nic.in

CIN: U24232RJ2011SGC035067

Website : www.rmsc.nic.in

क्रमांक : एफ.9 ()/आरएमएससी/भण्डार/वाहन/2022-23/

दिनांक:

अनुमानित लागत ₹ 5.00 लाख

अंतिम तिथि- 30.01.2023 समय:- 3.00 PM

निविदा प्रपत्र शुल्क ₹ 500/-

बोली प्रतिभूति (Bid security) ₹ 10,000/-

के रूप में घोषणा पत्र

तकनीकी निविदा प्रपत्र

जब आवश्यकता हो (**As when as required**), के आधार पर वाहन उपलब्ध करवाने के लिए दर संविदा हेतु
तकनीकी निविदा प्रपत्र

1. बोली दाता का नाम व डाक पता मो. एवं ई मेल सहित
.....
2. किसको संबोधित किया गया:- प्रबन्ध निदेशक, आरएमएससी, राजस्थान, जयपुर।
3. बोली शुल्क की राशि रुपये 500/- डीडी/बैंकर चैक संख्या दिनांक
के द्वारा जमा करा दी गयी है। बोली प्रपत्र वेबसाइट से डाउनलोड करने की स्थिति में
निर्धारित शुल्क का डी.डी./बैंक चैक सं. दिनांक बोली प्रपत्र के
साथ संलग्न है।
4. बोली प्रतिभूति के स्थान पर, बोली प्रतिभूति घोषणा राज्य सरकार के विभागों और सरकार के
स्वामित्वाधीन या नियंत्रित या प्रबंधित उपक्रमों, निगमों, स्वायत निकायों, रजिस्ट्रीकृत सोसाइटियों,
सहकारी सोसाइटियों और केन्द्रीय सरकार या राजस्थान सरकार के सरकारी उपक्रम और
कार्यनियों से ली जायेगी।
5. बोली सूचना में वर्णित सभी शर्तों तथा बोली-प्रपत्र के साथ संलग्न शर्तों से बाध्य होना स्वीकार
करते हैं। बोली सूचना एवम् बोली-प्रपत्र में उल्लेखित शर्तों को मेरे/हमारे द्वारा स्वीकार किए
जाने के प्रमाण में मैंने/हमने बोली सूचना एवम् बोली-प्रपत्र के प्रत्येक पृष्ठ पर हस्ताक्षर कर दिए
हैं।
6. बोली प्रपत्र के साथ संलग्न प्राइज-शिड्यूल/वित्तीय बोली प्रपत्र में कार्य की दरें अंकित कर दी
गई हैं, जो कि 90 दिन तक प्रभावी होंगी।
7. वाहन के किराये की दरें अनुबन्ध की दिनांक से एक वर्ष तक मान्य रहेगी।
8. “तकनीकी बोली” एवं “वित्तीय बोली” अलग—अलग लिफाफों में प्रस्तुत करनी होगी तथा
लिफाफे के ऊपर स्पष्ट रूप से “**Rajasthan Medica Services Corporation Ltd.** के लिए वाहन किराये
पर उपलब्ध करवाने हेतु वित्तीय बोली या तकनीकी बोली” अंकित होनी चाहिए। तकनीकी
मापदण्डों में सफल बोलीदाताओं की ही वित्तीय बोली खोली जावेगी। वित्तीय बोली खोलने के
समय से विभाग द्वारा बोलीदाताओं पृथक से सूचित कर दिया जायेगा।
9. “तकनीकी बोली” एवं “वित्तीय बोली” के लिफाफे पर बोलीदाताद्वारा अपना पूरा स्पष्ट पता एवं
फोन/मोबाइल नंबर आवश्यक लिखा जाना चाहिए।
10. “वित्तीय बोली” के लिफाफे में मात्र “वित्तीय दरें” ही डाली जायेंगी। इसके अतिरिक्त समस्त
दस्तावेज इत्यादि तकनीकी बोली के लिफाफे में रखे जाने चाहिए।
11. बोलीदाताद्वारा विभाग से कार्यदेश जारी करने की दिनांक से 7 दिन की अवधि के भीतर संविदा
वाहन उपलब्ध कराना होगा।
12. बोली प्रतिभूति (Bid Security) की राशि रुपये 10000/- के रूप में बैंक ड्राफ्ट/बैंकर्स चैक
संख्या दिनांक (बैंक का नाम)
“तकनीकी बोली” के साथ संलग्न है।

13. “तकनीकी बोली” के साथ तकनीकी योग्यताओं में वांछित समस्त पत्र/प्रपत्र/दस्तावेज संलग्न करना आवश्यक है, अन्यथा इसके अभाव में तकनीकी बोली रद्द कर दी जावेगी तथा वित्तीय बोली पर भी विचार नहीं किया जावेगा।
14. यदि किसी बोलीदाताद्वारा तकनीकी बोली के लिफाफे में वित्तीय बोली भी डाल दी जायेगी तो उस बोलीदाताकी दोनों बोलीयां रद्द कर दी जायेगी।
15. बोली प्रपत्र में वर्णित समस्त शर्तों (परिशिष्ट-‘I’ & ‘II’) को समझ लिया गया है। शर्तें स्वीकार हैं, एवं उन पर हस्ताक्षर कर दिये गये हैं।
16. बोली दाता के बैंक अकाउन्ट का विवरण :-
 1. बैंक का नाम/शाखा :
 2. अकाउन्ट नम्बर :IFSC Code
 3. बैंक पासबुक की प्रतिलिपि : संलग्न है।
17. वाहन के पंजीयन प्रमाण—पत्र, टैक्सी परमिट, बीमा प्रमाण—पत्र, प्रदूषण नियंत्रण प्रमाण—पत्र, फिटनेस प्रमाण—पत्र, वाहन चालक का लाईसेंस की सत्यापित प्रतिलिपि संलग्न होनी चाहिए।
18. वाहन का टैक्सी परमिट वैध होना चाहिए एवं वाहन बोली जारी होने की तिथि से 05 वर्ष पुराना नहीं होना चाहिए।
19. **Rajasthan Transparency in Public Procurement Rules-2013** प्रावधानों के तहत इस बोली के साथ संलग्न Annexure- A, B, C, D, form no.1 एवं परिशिष्ट I से VII तक बोलीदाताद्वारा हस्ताक्षर कर प्रेषित किया जाना अनिवार्य है।
20. बोली राशि के बिना बोली पर विचार नहीं किया जायेगा।
21. बोली मोहर बन्द लिफाफे में, जिस पर स्पष्ट रूप से RMSCL में वाहन उपलब्ध कराने के लिए बोली लिखा होगा। बोली उक्त कार्यालय में व्यक्तिगत रूप से सम्भलायी जाकर उसकी रसीद प्राप्त की जायेगी या रजिस्टर्ड डाक से भिजवायी जायेगी।
22. उपापन अधिकारी न्यूनतम दर वाली संविदा को अथवा समस्त बोली को स्वीकार करने के लिए बाध्य नहीं है तथा वह किसी भी बोली को या उस बोली के किसी भाग को बिना कारण बताये रद्द कर सकेगी।
23. फर्म/कम्पनी/सोसाइटी का विगत तीन वर्षों (2018–19, 2019–20 एवं 2020–21) अथवा (2019–20, 2020–21 एवं 2021–2022) का औसत टर्न ऑवर ₹ 5.00 लाख प्रतिवर्ष हो। इस हेतु वांछित सनदी लेखाकार से प्रामाणिक दस्तावेज बैलेंश शीट, Profit and Loss A/c, Receipt & Payment/Income-expenditure A/c आदि अनिवार्य रूप से संलग्न करें।
24. नियत समय व तारीख के बाद जो भी बोली प्राप्त होंगी, उन्हें रद्द कर दिया जायेगा।
25. यह बोली **Rajasthan Transparency in Public Procurement Rules-2012** एवं **Rajasthan Transparency in Public Procurement Rules-2013** के तहत निहित प्रावधानों के क्रम में जारी की गई है। बोली दस्तावेजों में किसी प्रकार की कमी होने अथवा नियमों 2013/अधिनियम 2012 के नियमानुसार नहीं होने पर, अधिनियम/नियमों में अंकित प्रावधान मान्य होंगे।

बोलीदाताके हस्ताक्षर

नाम.....

फर्म का नाम व पता मय मोहर

मोबाईल नं.

राजस्थान मेडिकल सर्विसेज कॉर्पोरेशन लि.

रजि. कार्यालय: डी-ब्लॉक, स्वास्थ्य भवन, तिलक मार्ग, सी-स्कीम, जयपुर

GSTIN- 08AAFCR2824M1Z3

फोन नं: 0141-2228060-61, फैक्स नं: 0141-2228065

CIN: U24232RJ2011SGC035067

क्रमांक : एफ.9 ()/आरएमएससी/भण्डार/वाहन/2022-23/

ई-मेल : edf-rmsc-rj@nic.in

Website : www.rmsc.nic.in

दिनांक:

तकनीकी बोली
परिशिष्ट -I

बोली प्रस्तुत करने के सम्बन्ध में सामान्य शर्तें

- बोलियाँ (तकनीकी/वित्तीय) दो पृथक—पृथक लिफाफों में बंद कर प्रस्तुत करनी होंगी। प्रथम लिफाफा तकनीकी बोली का होगा, जिसमें बोलीदाताद्वारा हस्ताक्षररयुक्त बोली प्रपत्र, संलग्न परिशिष्टों में वर्णित तकनीकी बोली सम्बन्धी प्रपत्र होंगे। द्वितीय लिफाफा वित्तीय बोली का होगा। जिसमें बोलीदाताद्वारा उपरोक्त कार्य हेतु दरें बिड डाक्यूमेन्ट के संलग्न “प्राइस-शिड्यूल” में अंकित कर प्रस्तुत करनी होगी। प्रथम लिफाफे पर “तकनीकी बिड बाबत् किराये के वाहन व्यवस्था” अंकित हो एवं द्वितीय लिफाफा जिस पर “वित्तीय बिड-बाबत् किराये के वाहन व्यवस्था” अंकित हो, प्रस्तुत करना होगा। उक्त दोनों लिफाफों को एक बड़े लिफाफे में बंद कर प्रस्तुत करना होगा। लिफाफे पर “किराये पर वाहन हेतु बोली” अंकित होना चाहिए।
- बोलियां निर्धारित प्रपत्र, जो कि विभाग से जारी किया गया है अथवा SPPP Portal से डाउनलोड किया गया हो, पर ही प्रस्तुत की जानी हैं। बोली के सभी प्रपत्र व अनुलग्नक पर बोलीदाता के हस्ताक्षर मय मोहर आवश्यक रूप से होने चाहिए। साथ ही बोलीदाता द्वारा प्रस्तुत सभी प्रपत्र एवं संलग्नकों पर नम्बर अंकित करने होगें तथा इस बिड डाक्यूमेन्ट में संलग्न Check List में संलग्न दस्तावेजों की पेज संख्या अंकित करनी होगी।
- बोलियाँ लिफाफे में बंद कर निर्धारित तिथि एवं समय तक विभाग में प्रस्तुत की जानी चाहिए।
- सफल बोलीदाता/अनुबन्धकर्ता द्वारा अनुबन्ध को किसी अन्य फर्म को कार्य सबलेट नहीं किया जावेगा।
- सशर्त बोलियां स्वीकार्य नहीं होंगी।
- बोलीदाताको इस बोली आमंत्रण सूचना प्रपत्र के साथ संलग्न परिशिष्टों पर भी अनिवार्य रूप से हस्ताक्षर कर संलग्न करने होंगे।
- बोली के साथ बोलीदाताको बोली प्रतिभूति (Bid Security) प्रति वाहन राशि रूपये 10000/- की दर से बैंकर चैक से जमा कराई जानी चाहिये, इसके बिना बोलियों पर विचार नहीं किया जायेगा।
- बोली प्रपत्र (बोली दस्तावेज) बैंक मांगदेय ड्राफ्ट या बैंकर चैक द्वारा भुगतान देकर प्राप्त किये जा सकते हैं।
- बोली प्रतिभूति (Bid Security) का समायोजन कार्य-सम्पादन प्रतिभूति (Performance Security) के रूप में किया जा सकेगा। अनुबन्ध समाप्ति के पश्चात् कार्य-सम्पादन प्रतिभूति अनुबन्धकर्ता को लौटा दी जायेगी, इस पर कोई व्याज देय नहीं होगा।
- (1) करार एवं कार्य सम्पादन प्रतिभूति :-
 - सफल बोलीदाताको बोली स्वीकार किये जाने की सूचना प्राप्त होने से 7 दिन की अवधि के भीतर एक करार पत्र (Agreement) प्रस्तुत करना होगा। यह करार पत्र (Agreement) राशि रूपये 500/- का हो के नॉन-ज्यूडिशियल स्टाम्प पेपर पर निष्पादित करना होगा तथा जिनके लिए बोलियाँ स्वीकार की गयी हैं, उनके वार्षिक मूल्य के 2.5% के बराबर कार्य सम्पादन प्रतिभूति जमा करानी होगी।
 - बोली के समय जमा करायी गयी बोली प्रतिभूति राशि को कार्य सम्पादन प्रतिभूति की राशि के लिए समायोजित की जा सकेगी। कार्य सम्पादन प्रतिभूति की राशि किसी भी दशा में बोली प्रतिभूति राशि से कम नहीं होगी।
 - कार्य सम्पादन प्रतिभूति राशि पर विभाग द्वारा व्याज का भुगतान नहीं किया जाएगा।

- (iv) कार्य सम्पादन प्रतिभूति राशि बैंक ड्राफ्ट या बैंकर चैक से जमा कराई जाएगी।
- (2) कार्य सम्पादन प्रतिभूति का सम्पहरण :- कार्य सम्पादन प्रतिभूति की राशि को पूर्ण या आंशिक रूप से निम्नलिखित मामलों में सम्पहरत किया जा सकेगा:-
- (i) जब संविदा के किन्हीं निवधनों और शर्तों का उल्लंघन किया गया हो।
 - (ii) जब बोलीदातासम्पूर्ण प्रदाय संतोषजनक ढंग से करने में असफल रहा हो।
 - (iii) कार्य सम्पादन प्रतिभूति को सम्पहरण करने के मामले में युक्तियुक्त समय पूर्व नोटिस दिया जाएगा। इस सम्बन्ध में उपापन अधिकारी का निर्णय अंतिम होगा। जो बोली दाता का मान्य होगा।
- (3) करार पत्र को पूर्ण करने एवं उस पर स्टाम्प लगाने के व्यय का भुगतान बोलीदाताद्वारा किया जाएगा तथा विभाग द्वारा उस करार की एक निष्पादित स्टाम्प शुदा प्रतिपड़त (Counter foil) बोलीदाताको निःशुल्क दी जाएगी।
11. अनुबन्ध अवधि के दौरान कार्य की दरें स्थिर रहेंगी। इनमें किसी प्रकार की वृद्धि स्वीकार्य नहीं होगी। दरों में कमी के सम्बन्ध में राज. उपापन में पारदर्शिता नियम-2013 का नियम 29(2-ज) प्रभावी होगा।
 12. विभाग द्वारा अनुबंध की अवधि के दौरान किसी भी कारण से अवगत कराते हुये या बिना अवगत कराये 30 दिवस का नोटिस देकर अनुबंध को समाप्त किया जा सकता है। इस सम्बन्ध में बोलीदाता को किसी प्रकार का हर्जा-खर्च नहीं दिया जायेगा।
 13. बोलीदाता किसी शर्त का उल्लंघन करने पर अथवा योग्यता नहीं रखने पर बोली निरस्त/अनुबंध समाप्त करने की कार्यवाही की जा सकती है।
 14. Rajasthan Transparency in Public Procurement Act-2012 के section-83 के तहत कोई भी Bidder अथवा Proposed Bidder जिसे यह प्रतीत होता है कि इस BID का कोई प्रावधान या कृत्य इस अधिनियम के प्रतिकूल है, तो वह प्रथम अपील अधिकारी 'विशेषाधिकारी, आरएमएससी, राजस्थान जयपुर के समक्ष नियमानुसार अपील कर सकता है, साथ ही समान उद्देश्य (अपील) के लिए प्रावधान अनुसार द्वितीय अपील अधिकारी "प्रबन्ध निदेशक, आरएमएससी, राजस्थान" जयपुर है।
 15. राजस्थान उपापन में पारदर्शिता अधिनियम-2012 एवं नियम-2013 में वर्णित प्रावधान एवं समय-समय पर राज्य सरकार एवं प्राधिकरण द्वारा समय-समय पर जारी किये जाने वाले दिशा-निर्देश/आदेश जो इस बोली हेतु प्रासंगिक हो प्रबन्ध निदेशक, आरएमएससी, राजस्थान, जयपुर एवं सफल बोलीदाता द्वारा मान्य होंगे।
 16. बोली पूर्व स्पष्टीकरण के सम्बन्ध में किसी भी प्रकार की जानकारी/स्पष्टीकरण इस विभाग से प्राप्त किया जा सकता है।
 17. सफल बोलीदाता को विभाग द्वारा कार्यादेश जारी किया जायेगा उसे सेवा के दौरान प्रतिमाह सेवा का बिल भुगतान हेतु प्रस्तुत करते समय प्रत्येक बिल के साथ यह प्रमाण-पत्र अंकित करना होगा कि केन्द्र/राज्य सरकार द्वारा लागू किसी भी कानून/नियम के तहत कोई कर/शुल्क/पी.एफ./ई.एस.आई. आदि का भुगतान देय है तो कर दिया गया है। और कोई शेष नहीं है।
मुझे/हमें उपरोक्त शर्तें स्वीकार हैं।

बोलीदाता के हस्ताक्षर मय मोहर

किराये पर वाहन लेने हेतु दर-संविदा से सम्बंधित विशेष शर्तें

1. वाहन को सम्पूर्ण राजस्थान एवं राजस्थान से बाहर कहीं भी काम में लिया जा सकेगा।
2. वाहन आर.टी.ओ. से वाणिज्यिक पंजीकृत (टैक्सी के रूप में), पूर्ण बीमित, चालू एवं अच्छी स्थिति में होना चाहिए एवं बोली सूचना जारी होने की तिथि से 05 वर्ष से अधिक पुराना नहीं होना चाहिये।
3. वाहन एवं वाहन चालक के सम्बंध में किसी भी प्रकार के कानूनी एवं वित्तीय दायित्व जैसे—लाईसेन्स, समस्त प्रकार के कर आदि जमा कराना, आवश्यक परमिट, फिटनेस एवं प्रदूषण नियंत्रण प्रमाण—पत्र प्राप्त करना, बीमा कराना, अन्य कानूनी दायित्वों की पालना करना आदि समस्त प्रकार की जिम्मेदारी बोलीदाता की होगी।
4. उक्त वाहन केवल बोर्ड के राजकीय कार्यों के लिए किराये पर लिया जा रहा है, अतः राज्य सरकार द्वारा किसी भी समय बोर्ड के गठन को निरस्त किया जाता है तो बोर्ड के निरस्त होने की तिथि से किराये के वाहन का भी अनुबन्ध स्वतः ही समाप्त माना जायेगा।
5. वाहन का किराया न्यूनतम 250 किमी प्रतिदिवस होगा तथा इससे अधिक वाहन चलने पर वास्तविक किलो मीटर के अनुसार देय होगा। साथ टोल-टेक्स, पार्किंग शुल्क, रात्रि विश्राम भत्ता का भुगतान अलग से किया जाएगा साथी रात्रि विश्राम भत्ता मध्य रात्रि के पश्चात अर्थात 12 PM के बाद मुख्यालय से बाहर होने की स्थिति में ही देय होगा।
6. बोलीदाता को अनुबंधित वाहन पर एक प्लेट लगानी होगी जिस पर "ON GOVERNMENT DUTY" लिखा हुआ होना चाहिये। यह प्लेट इस प्रकार से लगाई जानी होगी कि जब वाहन सरकारी ड्यूटी पर नहीं हो तब उसे हटाया जा सके एवं प्रभारी अधिकारी की सुरक्षा में रखी जा सके।
7. वाहन चालक को वैध ड्राइविंग लाईसेंस सदैव साथ रखना होगा, निर्धारित साफ—सुधरी यूनीफॉर्म में रहना होगा, वाहन को भी साफ—सुधरा रखना होगा तथा वाहन चालक को वाहन का प्रयोग करने वाले अधिकारियों के साथ शालीनता से पेश आना होगा।
8. वाहन का प्रयोग अधिकारी के निर्देशानुसार किया जायेगा।
9. विभाग द्वारा अनुबंध की अवधि के दौरान किसी भी कारण से अवगत कराते हुये या बिना अवगत कराये 30 दिवस का नोटिस देकर अनुबंध को समाप्त किया जा सकता है। यदि संविदा वाहन/वाहन मालिक की सेवाएँ असंतोषजनक पाई गई तो तुरन्त प्रभाव से बिना कोई नोटिस दिये वाहन का अनुबन्ध विभाग द्वारा निरस्त किया जा सकेगा। इस सम्बंध में द्वितीय पक्ष को विभाग द्वारा किसी प्रकार का हर्जा-खर्च नहीं दिया जायेगा।
10. अनुबन्ध समाप्ति से पूर्व किसी भी परिस्थिति में अनुबन्ध समाप्त करने के लिए सेवाप्रदाता के अनुरोध को स्वीकार करने के लिए विभाग बाध्य नहीं होगा।
11. वाहन का प्रयोग सम्पूर्ण राजस्थान एवं राजस्थान के बाहर कहीं भी किया जा सकेगा। सवेदक द्वारा जयपुर अथवा जयपुर से बाहर की यात्रा हेतु वाहन उपलब्ध नहीं कराने की स्थिति में नियंत्रण अधिकारी/वाहन उपयोगकर्ता द्वारा प्राईवेट टैक्सी से यात्रा की जाकर टैक्सी के बिल का भुगतान संवेदक से वसूली की जायेगी।

12. अनुमोदित बोलीदाता द्वारा विभाग की मांग के अनुसार वाहन उपलब्ध कराना होगा। वाहन उपलब्ध कराने के लिये विभाग द्वारा अनुमोदित बोलीदाता को पहले से सूचित कर दिया जायेगा।
13. यदि यात्रा के दौरान अनुबंधित वाहन रास्ते में खराब हो गया तो अनुमोदित बोलीदाता द्वारा उसी समय स्वयं की लागत पर दूसरा वाहन उपलब्ध कराना होगा। यात्रा के दौरान वाहन चालक को समस्त वांछित मूल दस्तावेज जैसे— ड्राईविंग लाइसेंस, पंजीयन प्रमाण—पत्र, फिटनेस प्रमाण—पत्र, यात्रा का परमिट एवं मेडिकल किट आदि साथ में रखने होंगे।
14. पैट्रोल, ऑयल एवं ल्यूब्रीकेंट (POL) तथा संचालन एवं संधारण से सम्बंधित समस्त व्यय अनुमोदित बोलीदाता द्वारा वहन किये जायेंगे।
15. अनुमोदित बोलीदाता द्वारा वाहन प्रदायगी का बिल तीन प्रतियों में प्रभारी अधिकारी से प्रमाणित बोलीदाता शीट के साथ भुगतान हेतु प्रस्तुत करना होगा।
16. अनुबंधित वाहन से सम्बंधित दुर्घटना—दावा अथवा दुर्घटना से सम्बंधित समस्त प्रकार के दावों का निपटारा अनुमोदित बोलीदाता द्वारा किया जायेगा एवं बोलीदाता स्वयं इसके लिए उत्तरदायी होगा।
17. बोलीदाता द्वारा दी गई दरें एक वर्ष के लिये मान्य होंगी, इस अवधि को विभाग एवं बोलीदाता की परस्पर सहमति से नियमानुसार बढ़ाया जा सकेगा।
18. वाहन चालक के पास निर्धारित ड्राईविंग लाइसेंस होना आवश्यक होगा।
19. वर्तमान में प्रभावी किसी भी राजकीय कानून/नियम आदि की पालना का पूर्ण उत्तरदायित्व बेलीदाताका होगा।
20. विभाग के वाहन प्रभारी अधिकारी द्वारा जारी समस्त आदेशों/निर्देशों का पालन वाहन चालक को करना होगा।
21. विवाद की स्थिति में विभाग का निर्णय अन्तिम होगा।
22. इस अनुबन्ध का न्याय क्षेत्र “जयपुर” होगा।

मुझे/हमें उपरोक्त शर्तें स्वीकार हैं।

बोलीदाता के हस्ताक्षर मय मोहर
एवं पूर्ण पता तथा
फोन/मोबाइल नम्बर

**तकनीकी बोली
परिशिष्ट -III**

किराये के आधार पर वाहन किराये पर उपलब्ध कराने हेतु दर संविदा हेतु वांछित तकनीकी योग्यताएँ एवं वांछित प्रपत्र :-

क्र.सं.	तकनीकी योग्यताएँ	वांछित प्रपत्र
1.	वाहन स्वामी/फर्म/कम्पनी का नाम पता टेलीफोन नम्बर फैक्स एवं ई-मेल पूर्ण विवरण सहित।	बोटर आई.डी./आधार कार्ड की प्रतिलिपि अथवा संस्था के पंजीयन प्रमाण-पत्र की स्वप्रमाणित प्रति या लेटर हैड पर अंकित कर मय मोहर हस्ताक्षर कर संलग्न करना है
2.	बोलीदाताओं के पास पेन नम्बर एवं जीएसटी नं. (लागू हो तो) व पेन कार्ड होना जरूरी है।	पेन कार्ड एवं जीएसटी की स्वप्रमाणित छाया प्रति संलग्न की जानी है।
3.	बोलीदाता को गत वर्ष में किसी राजकीय संस्था, बोर्ड, कॉर्पोरेशन से ब्लॉक लिस्ट नहीं किया गया हो।	बोलीदाताओं को 500/- रुपये के नॉन ज्यूडिशियल स्टाम्प पर शपथ-पत्र (परिशिष्ट-V के अनुसार) देना आवश्यक है।
4.	बोलीदाताओं को प्रतिभूति राशि रुपये 10000/- रुपये बैंक चेक/डिमाण्ड ड्राफ्ट द्वारा जमा करवाया जा सकता है।	बोलदाताओं को बैंक चेक/बैंक ड्राफ्ट की कॉपी संलग्न किया जाना आवश्यक है।
5.	वाहन का पंजीयन प्रमाण-पत्र (प्रमाण-पत्र)	आर.टी.ओ. कार्यालय द्वारा जारी रजिस्ट्रेशन प्रमाण-पत्र की स्व प्रमाणित प्रतिलिपि संलग्न की जानी आवश्यक है।
6.	वाहन का टैक्सी परमिट।	बोलीदाताओं को परिवहन विभाग द्वारा वैध जारी टैक्सी परमिट की स्व प्रमाणित प्रतिलिपि संलग्न करनी होगी।
7.	वाहन की फिटनेस के करचुक्ता का वैध प्रमाण-पत्र।	बोलीदाता को आर.टी.ओ. कार्यालय द्वारा फिटनेस प्रमाण-पत्र एवं जमा टैक्स की प्रतिलिपि संलग्न करनी होगी।
8.	बोलीदाताओं को वाहन चालक का (वाणिज्य) लाईसेंस वैध प्रमाण-पत्र।	आर.टी.ओ. कार्यालय द्वारा जारी लाईसेंस की छाया स्व प्रमाणित प्रतिलिपि संलग्न करनी होगी।
9.	वाहन का वैध बीमा प्रमाण-पत्र एवं प्रदूषण नियंत्रण प्रमाण-पत्र	बीमा कम्पनी द्वारा जारी वाहन के बीमा प्रमाण-पत्र एवं प्रदूषण प्रमाण-पत्र की छाया स्व प्रमाणित प्रतिलिपि संलग्न करनी होगी।
10	बोलीदाताओं के बैंक की डिटेल	बैंक का नाम, आई.एफ.एस.सी. कोड, बैंक की शाखा, बैंक अकाउन्ट नम्बर एवं बैंक पासबुक की फोटोकॉपी।

नोट:- तकनीकी योग्यताओं को पूर्ण करने वाले बोलीदाताओं की वित्तीय बोलियां ही खोली जावेगी। तकनीकी योग्यताओं में योग्य नहीं पाये जाने वाले बोलीदाताओं की वित्तीय बोलियां नहीं खोली जावेगी।

**बोलीदाता के हस्ताक्षर
मय मोहर**

Rajasthan Medical Services Corporation Ltd., Jaipur के लिए किराये पर वाहन उपलब्ध
करवाने बाबत।

अहर्ता एवं मूल्यांकन कसौटी (Qualification and Evaluation Criteria)

1. बोलीदाता को विभिन्न राजकीय विभागों/उपक्रमों में किये गये कार्य के दौरान कभी भी Black Listed/Defaulter नहीं किया गया हो।
2. बोलीदाता के पास पर्याप्त साधन एवं योग्य/अनुभवी वाहन चालक होने चाहिए।
3. परिशिष्ट-III में वर्णित तकनीकी योग्यताएँ रखता हो।
4. बोलीदाता समस्त सामान्य शर्तों की पूर्ति करता हो।
5. सभी दरों को सुपाठ्य एवं स्पष्ट रूप से भरा जाना चाहिए, उपरिलेखन एवं कांट-चांट पर स्पष्ट हस्ताक्षर बोलीदाता द्वारा होने चाहिए, दरें स्पष्ट अंको एवं शब्दों में अंकित की जानी चाहिए।

बोलीदाताके हस्ताक्षर

नाम: _____

पता: _____

मोबाइल/दूरभाष _____

घोषणा पत्र

बोली की समस्त जानकारी/शर्तों का मैंने/हमने अच्छी तरह अध्ययन कर लिया है। मैं/हम यह भी प्रमाणित करते हैं कि वास्तव में मेरे/हमारे द्वारा बोली में चाहा गया व्यवसाय किया जाता है तथा “अधिनियम” की धारा 46 एवं “नियम” के नियम 39 के अनुसार राज्य सरकार या किसी उपापन संस्था से अपात्रता के लिए विवर्जित (Debarred) नहीं हूँ।

यदि यह घोषणा असत्य पायी जाए तो किसी भी अन्य कार्रवाई, जो की जा सकती है, पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, मेरी/ हमारी बोली प्रतिभूति/ एवं कार्य निष्पादन प्रतिभूति को पूर्ण रूप में समरप्त कर किया जा सकेगा तथा बोली को, जिस सीमा तक उसे स्वीकार किया गया है, रद्द किया जा सकेगा।

बोलीदाता के हस्ताक्षर
नाम मय सील

**Rajasthan Medical Services Corporation Ltd., Jaipur में किराये पर वाहन लिये जाने का
कार्य |**

"CHECK LIST"

वाहन स्वामी/फर्म/कम्पनी का नाम पता टेलीफोन नम्बर फैक्स एवं ई—मेल पूर्ण विवरण सहित।	_____
--	-------

क्र.सं.	तकनीकी योग्यता की शर्त संख्या	नम्बर	जारी करने की तिथि	वैधता अवधि दि....से...तक	संलग्न पृष्ठ सं.
1.	वाहन/वाहनों के रजिस्ट्रेशन नम्बर				
2.	बोलीदाताओं के पास पेन नम्बर व पेन कार्ड होना जरुरी है।				
3.	बोलीदाता को गत वर्ष में किसी राजकीय संस्था, बोर्ड, कॉर्पोरेशन से ब्लेक लिस्ट नहीं किया गया हो(शपथ पत्र परिशिष्ट—V के अनुसार संलग्न करें)।				
4.	बोलीदाताओं को प्रतिभूति राशि 10000/- रूपये बैंक चेक/डिमाण्ड ड्राफ्ट द्वारा जमा करवाया जा सकता है।				
5.	वाहन का वाणिज्यिक प्रमाण—पत्र				
6.	वाहन का टैक्सी परमिट।				
7.	वाहन की फिटनेस प्रमाण—पत्र।				
8.	वाहन चालक का (वाणिज्य) लाइसेंस वैध प्रमाण—पत्र।				
9.	वाहन का वैध बीमा प्रमाण—पत्र				
10.	वाहन का प्रदूषण नियंत्रण प्रमाण—पत्र				
11.	बोलीदाताओं के बैंक की डिटेल				
12.	बोली प्रपत्र शुल्क राशि रूपये 500/-				

बोलीदाताके हस्ताक्षर

नाम: _____

पता: _____

मोबाइल / दूरभाष _____

वित्तीय बोली
परिशिष्ट -VII

Rajasthan Medical Services Corporation Ltd., Jaipur के लिए किराये पर वाहन ।
प्राईस शिड्यूल (Price Schedule) वित्तीय बिड

क्र. सं.	वाहन का प्रकार	बैसिक दर प्रति किमी	GST राशि	कुल राशि (3+4)	रात्रि विश्राम भत्ता	विशेष विवरण
1	2	3	4	5	6	7
1	ईनोवा क्रिस्ट					
2	डीजायर/ ईटीओस समकक्ष					
3	बोलेरो 7 सीटर					

नोट :-

1. किराये के वाहन के लिए उपरोक्त दरे एक वर्ष के लिए फिक्स रहेगी। किराये की राशि के अलावा विभाग द्वारा अन्य भुगतान यथा: टोल-टेक्स, पार्किंग शुल्क अलग से देय होगा। तथा रात्रि विश्राम भत्ता भी दर्शाये।
2. न्यूनतम बोली का चयन प्रति किमी की दरे से किया जायेगा तथा न्यूनतम बोली दाता को ही सक्षम अनुमोदन उपरान्त कार्यदेश जारी किया जायेगा।
3. कार्यालय द्वारा टी.डी.एस. की कटौती नियमानुसार की जाकर शेष भुगतान बोलीदाता के बैंक खाते में ही देय होगा।
4. बोली के साथ संलग्न शर्तों एवं कार्य के विवरण को मेरे द्वारा पढ़ एवं पूर्णतयः समझ लिया गया है तथा मैं/हम उपरोक्तानुसार दरों पर कार्य करने हेतु सहमत हैं/हैं।

बोलीदाताके हस्ताक्षर

नाम : _____

फर्म का नाम व पता एवं मोहर